रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227515 CG-DL-E-11062021-227515

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	2084]	नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943
No.	2084]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISHTHA 20, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2244(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित ट्रेक्टर सेमी ट्रेलर के पंजीकरण हेतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित हैं, अनुमोदन प्रदान करती है:-

# अनुसूची

क्रम	मद	विवरण
सं.		
1.	समायोजन का प्रकार	10 टन पेलोड सिंगल एक्सल वेल बेड सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर के साथ युग्मित
2.	स्वामी	भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली
		जिला - 627133.
3.	सेमी ट्रेलर निर्माता	मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड
4.	ट्रेक्टर निर्माता	मेसर्स वी.एस. ट्रेलर, चेन्नई
5.	समायोजनों की संख्या	एक
ट्रेक्टर का विवरण		टीएन 72 सीवाई 4981

3118 GI/2021 (1)

6.	इंजन संख्या	जेवायएचजेड 438743
7.	चैस्सी संख्या	एमबी 1 टीएलकेएचडी 8 जेआरएक्सजेड 5859
सेमी ट्रेलर का विवरण		सिंगल एक्सल वेल बेड।
8.	चैस्सी संख्या	वीएसटीडब्ल्यूबी 120423
9.	लम्बाई	14540 एमएम
10.	चोड़ाई	3060 एमएम
11.	ऊँचाई	3735 एमएम
12.	टायरः-	
	ट्रेक्टर की अगली धूरी	10.00x20, 16 पीआर - 2 टायर
	ट्रेक्टर की टैंडम	10.00x20, 16 पीआर - प्रव्येक धूरी में 4 टायर
	धूरी(दो) तीन एक्सल ट्रेलर	10.00x20, 16 पीआर - प्रव्येक धूरी में 4 टायर

- 2. उपरोक्त छूट की अनुमति उस स्थिति के अधीन इसरो की खेप के परिवहन के लिए एक समय की अनुमति के लिए विशेष मामले के रूप में दी जाती है:-
  - (i) संयोजनों का संचालन संयोजन के ऐसे आंदोलन के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित सड़क प्राधिकरणों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे अनुमोदित और बारीकी से देखा जाएगा।
  - (ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों का प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी।
  - (iii) समायोजन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
  - (iv) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलरों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - (v) समायोजन के आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक इंजीनियरों को दी जानी चाहिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
  - (vi) वाहन का पंजीकरण संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  - (vii) किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देष दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/ संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमित नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को निदयों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, यह निर्देशित किया जाता है कि वाहन को सड़क परिवहन और राजमार्ग दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए क्योंकि पैरा 1 जारी किए गए आदेश क्रमांक आरडब्ल्यू / एनएच -35072 /01/2010-एस एंड आर (बी) दिनांक 24.08.2020 के अनुसार है।
  - (viii) बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्रधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
  - (ix) उक्त समायोजन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
  - (x) सड़क पर चलने के लिए समायोजन की अधिकतम गति दस कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - (xi) समायोजन की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप

से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

- (xii) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे समायोजनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षिति के लिए राज्य/ संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (xiii) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु ऐसे प्रतिबंधां का पालन करेंगें जो इस संबंध में राज्य सरकारें/ संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiv) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु ऐसे समायोजनों का प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिदिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।
- (xv) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सिर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परिमट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xvi) पंजीकरण प्रमाण पत्र में एक विषेष प्रविष्टि की जाए कि समायोजन के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्रधिकारी अर्थात राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे।
- (xvii) केवल इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु द्वारा ही इन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी।
- (xviii) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के संबंध में सभी अधिसूचित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- (xix) इसरो प्रोपल्षन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि, तिरुनेलवेली जिला, तिमलनाडु को सीएम वीआर, 1989 के संदर्भ में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार पूरी तरह से ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन का परीक्षण करना और अर्हता प्राप्त करना चाहिए। यूआर एससी को चाहिए कि वह ट्रैक्टर ट्रेलर ऑपरेशन लादेन ध् अन-लादेन को मानक संचालन के अनुसार प्रशिक्षित मानव शक्ति की सख्त निगरानी में ले जाए। प्रक्रिया के साथ-साथ उपग्रहों के सामरिक आंदोलन को देखते हुए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिवत रूप से कार्य किया गया।
- (xx) इसरो कंसाइनमेंट के परिवहन का विशिष्ट मार्ग बेंगलुरु से भारत में स्थित सभी इसरो सेंट्रे में स्थित होगा और सड़क मार्ग से जाएगा।
- 3. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली. 1989 के नियम 47 (47 (सी), 47 (जी), 47 के उप-नियम 2 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को छोड़कर ) के तहत निर्धारित पर्ते पूरी करने तथा बिक्री दस्तावेज / खरीद आदेश (बीजक, सभी करों के भुगतान का सबूत ) प्रस्तुत करने के बाद ही **तमिलनाड़** राज्य में समायोजनों का पंजीकरण किया जाएगा।

[सं.आर.टी-11042/07/2020-एम.वी.एल.]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

**S.O. 2244(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of the following Tractor and Semi-Trailer with dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto:

#### **SCHEDULE**

Sl. No.	Item	Details
1.	Type of combination	10 Ton Payload Single Axle Well Bed Semi Trailer
		coupled with a Tractor
2.	Owned By	Government of India, Department of Space, ISRO
		Propulsion Complex, Mahendragiri, Tirunelveli District –
		627133.
3.	Tractor Manufactured By	M/s. Ashok Leyland Ltd.
4.	Trailer to be Manufactured By	M/s. V. S. Trailers, Chennai
5.	No. of combinations	One
Description of Tractor		TN72CY4981
6.	Engine No.	JYHZ438743
7.	Chassis No.	MB1TLKHD8JRXZ5859
Description of Trailer		Single Axle Well Bed.
8.	Chassis No.	VSTWB120423
Description of Semi-Trailer (total vehicle)		
9.	Length	14540 mm
10.	Width	3060 mm
11.	Height (laden)	3735 mm
12.	Tyre:-	
	Tractor First axle	10.00x20, 16 PR-2 tyres
	Tractor Second axle	10.00x20, 16 PR-4 tyres
	Trailer third axle	10.00x20, 16PR-4 tyres

- 2. The above relaxation is allowed as special case for one time permission for transportation of the ISRO consignments subject to the conditions that :-
  - (i) The operations of the combinations shall be done only after prior approval of such movement of the combination is approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
  - (ii) Dimensions and weight restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and prior permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads.
  - (iii) The combination should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
  - (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.
  - (v) The program of the movement of the combination should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.
  - (vi) The vehicle shall be registered as a combination.
  - (vii) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/Government of India, the over dimensional vehicles will not be allowed to pass over the bridges/distress bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
  - (viii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
  - (ix) The said combinations should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
  - (x) The maximum speed of the combination for movement on the road shall not exceed 5 kms/hour.

- (xi) The combinations shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the combination clearly.
- (xii) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads/bridges or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the combinations.
- (xiii) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiv) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such combination.
- (xv) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movements.
- (xvi) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the combination owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e, State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.
- (xvii) The permission will be valid for use of these vehicles by ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu only.
- (xviii) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu should ensure compliance with all notified provisions in respect of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- (xix) ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu should test and qualify the tractor trailer combination completely as per technical requirement with reference to the CMVR, 1989. ISRO Propulsion Complex, Department of Space, Mahendragiri, Tamil Nadu should submit that tractor trailer operation laden/un-laden will be carried under strict supervision of the trained manpower according to standard operating procedure as well as duly escorted to ensure the safety, considering strategic movement of satellites.
- (xx) The specific route for transportation of ISRO Consignments will be from Tamil Nadu to all ISRO Centre's located in India and vice versa by road.
- 3. The trailer shall be registered in the State of **Tamil Nadu** only subject to fulfilment of conditions laid down under Rules 47 (except 47(c), 47(g), sub-rule 2 of 47 and other relevant provisions) of the central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents/purchase order (invoice, proof of payment of all taxes).

[No. RT-11042/07/2020-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.